Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 57/22 (1/04)

ताराचन्द पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ठाकरी तह0 रायसिंहनगर।

प्रार्थी

बनाम

1. नन्दराम
2. डालू राम पिसरान ईशर राम जाति जाट निवासी ठाकरी तह0 रायसिंहनगर
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम।

उपस्थित : 1. श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, प्रार्थी
2 श्री जगदीश मेघवाल, अधिवकता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : २८/5/२०२२

हस्तगत प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के आदेश कमांक रीजी/वाचक/कार्यविभाजन/2022/36 दिनांक 14.01.2022 के द्वारा रायसिंहनगर तहसील के राजस्व प्रकरणों का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को दिए जाने फलस्वरूप अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के पत्रांक 196 दिनांक 09.02.2022 द्वारा स्थानानरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के सारवान एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्व शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 राजस्थान उप निवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता **ईशर राम पुत्र जेठाराम** के पास चक 39 एन पी तह0 रायसिंहनगर के खाता सं0 5 के मुश्तर्का खाता में मु0 नं0 44 के कि0 नं0 5 में 6 बिस्वा, मु0 नं0 33 के कि0 नं0 11 में 4 बिस्वा, कि0 नं0 12 में 11 विस्वा, कि0 नं0 13 में 17 बिस्वा, कि0 नं0 14 सालम, कि0 नं0 15–16–17 प्रत्येक 18 बिस्वा, कि0 नं0 18 मे 1 बिस्वा, मु0 नं0 38 के कि0 नं0 7–8–9 में 1 बीघा 4 बिस्वा कुल **6 बीघा 19 बिस्वा में बहिस्सा बराबर आराजी थी।** चक ठाकरी तहसील रायसिंहनगर में खाता सं0 19/96 के मुश्तर्का खाता में मु0 नं0 46 में 25 बीघा, मु0 नं0 55/1 में 4 बीघा **कुल 29–00 बीघा में आधा हिस्सा रकबा खातेदारी था।** अप्रार्थीगण के

अति0 जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पिता ने अपने जीवनकाल में चक 39 एन पी व ठाकरी की कुल आराजी का बेचान कर स्वंय को भूमिहीन बता कर चक 32 एन पी के मु0 नं0 195/37 की 25 बीघा दिनांक 15–4–61 को चक 39 एन पी के मु0 नं0 9/9 की 9 बीघा दिनांक 20–4–68 को, चक 39 एन पी के मु0 नं0 43 की 6 बीघा दिनांक 20–4–68 को एवं चक 39 एन पी के मु0 नं0 39 की 9–00 बीघा **दिनांक 15–4–61 को कलक्टर महोदय से तथ्यों को छुपा कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कुल 34 बीघा बारानी एवं 15 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करवा लिया** वर्तमान में आराजी आवंटी ईशर राम के **देहान्त के बाद अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है जो प्रारम्भ से शून्य** है। ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 15–4–61 एवं दिनांक 20–4–68 को कराये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में चक 39 एन पी व ठाकरी की कुल आराजी का बेचान कर स्वंय को भूमि बता कर चक 32 एन पी के मु0 नं0 195/37 की 25 बीघा दिनांक 15–4–61 को, चक 39 एन पी के मु0 नं0 9/9 की 9 बीघा दिनांक 20–4–68 को, चक 39 एन पी के मु0 नं0 43 की 6 बीघा दिनांक 20–4–68 को एवं चक 39 एन पी के मु0 नं0 39 की 9–00 बीघा दिनांक 15–4–61 को कलक्टर महोदय से तथ्यों को छुपा कर झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कुल 34 बीघा बारानी एवं 15 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करवा लिया । वर्तमान में आराजी आवंटी ईशर राम के देहान्त के बाद अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है जो प्रारम्भ से शून्य है। ऐसे आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 15–4–61 एवं दिनांक 20–4–68 को कराये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अप्रार्थीगण के खिलाफ झूठी शिकायत की गई है जो बिना किसी तथ्य व आधार के हैं। अप्रार्थीगण को भूमि का आवंटन विधिसम्मत् तरीके से किया गया है। शिकायत सारहीन है। अतः शिकायत खारिज फरमाई जावे।

उभय पा की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से शिकायत में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार, रायसिंहनगर से भूमि के संबंध में रिपोर्ट कमांक टी आर ए/18/261 दिनांक 16–1–18 के अनुसार :–

1. चक 39 एन पी के मु0 नं0 34 के 0.050 है0 व मु0 नं0 39 का 0.253 है0 कुल 0.404 है0 नहरी मय खाला भूमि **ईशर वल्द हीरा** जाति जाट साकिन ठाकरी के नाम से खातेदारी दर्ज है।
2. मु0 नं0 9 का 1.265 है0 व मु0 नं0 39 का 0.145 तथा मु0 नं0 43 का 1.581 है0 कुल 2.991 है0 नहरी/बारानी भूमि **धनराज – रणवीर पिता नन्दराम** कौम

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जाट साकिन ठाकरी के नाम एवं मु0 नं0 9 का 1.265 है0, मु0 नं0 39 का 1.727 है0 नहरी/बारानी भूमि मॉगी लाल – प्रमोद पिता डालूराम कौम जाट साकिन ठाकरी के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त समस्त भूमि **ईशर पुत्र हीरा** राम जाति जाट साकिन ठाकरी को आवंटन है जिसकी खातेदारी सनद सं0 22514 दिनांक 10–7–83 कलक्टर महोदय द्वारा जारी की गई है। आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 15–4–81 को हुआ था।

3. चक 39 एन पी के मु0 नं0 9 कि0 नं0 25 का 0.253 है0 स्मालपेच में उपखण्ड अधिकारी के आदेश से कमांक 5027 दिनांक 17–11–89 से आवंटन किया गया है जिसकी सनद सं0 36142 दिनांक 29–3–90 को जारी की गई है।
4. चक 32 एन पी के प0 नं0 209/305 का 6.074 है0 बारानी भूमि **ईशर वल्द हीरा** राम कौम जाट साकिन बगीचा के नाम से आवंटन हुई है जो वर्तमान में जरिये वसीयत ई0सं0 59 दिनांक 4–7–01 से **धनराज – रणवीर पिता नंद राम** व **मॉगी लाल– प्रमोद पिता डालू राम** कौम जाट साकिन ठाकरी ब.हि.ब. खातेदार के नाम से दर्ज है।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के पिता ईशरराम पुत्र जेठाराम अंकित किया है जबकि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 के अनुसार **ईशर–जेठा पिसरान हीराम कौम जाट** अंकित है। इस प्रकार जेठाराम ईशर राम का पिता न होकर भाई है और ईशर राम व जेठाराम का पिता हीरा राम है। अन्य राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2043–46, 2046–49 में भी ईशर राम पुत्र हीराराम अंकित है। इंतकाल सं0 4–28–29–112 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में भी ईशर पुत्र हीरा राम अंकित है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता ईशर राम पुत्र जेठाराम के पास वाके चक ठाकरी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं0 19/96 के मुश्तर्का खाता में मु0 नं0 46 में 25 बीघा व मु0 नं0 55/1 में 4 बीघा कुल 29–00 बीघा भूमि में आधा हिस्सा रकबा खातेदारी था जो सम्वत् 2002 से 2006 की जमाबन्दी से साबित है, इसमें अप्रार्थी के पास आधे हिस्से की 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। इसी प्रकार सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबंदी के अनुसार चक 39 एन पी में अप्रार्थी के पिता ईशर व चाचा जेठा के पास 6 बीघा 19 बिस्वा संयुक्त कृषि भूमि थी, इसमें अप्रार्थी के पास 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। इस प्रकार अलॉटमैन्ट से पूर्व अप्रार्थीगण के पिता के पास कुल 18–00 बीघा भूमि थी। उक्त दोनों भूमि उक्तानुसार जमाबन्दी से साबित हैं। उक्त भूमि को छिपाकर चक 32 एन पी व 39 एन पी में 34 बीघा बारानी व 15 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करवाया गया है। अप्रार्थी 25 बीघा भूमि आवंटन करवाने का पात्र था जबकि उसके पास आवंटन से पूर्व 18 बीघा भूमि पहले से ही थी। अप्रार्थी द्वारा आवंटित करवाई गई भूमि 34 बीघा बारानी जो 17 बीघा नहरी के बराबर होती है तथा 15 बीघा नहरी भूमि है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल 32 बीघा नहरी भूमि व 18–10 बीघा आवंटन से पूर्व नहरी भूमि थी। कुल 50 बीघा नहरी भूमि नहरी अप्रार्थी के धारण में है, जो आवंटन की पात्रता से अधिक है। इस प्रकार 25 बीघा नहरी भूमि पात्रता से अधिक होने के कारण बहक सरकार अधिग्रहण किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अप्रार्थीगण के पिता द्वारा द्वारा पूर्व की कुल 18-00 बीघा नहरी भूमि को छिपाते हुए पुनः भूमि का आवंटन करवाया है तथा पात्रता से अधिक 25 बीघा नहरी भूमि को बहक सरकार अधिग्रहण किया जाता है। तहसीलदार, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना में 25 बीघा नहरी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें। यदि बारानी भूमि का कब्जा बहक सरकार लेना पड़ा तो नहरी भूमि का दुगना लिया जायेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को भेजी जावे।

आदेश दिनांक 26-5-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति० जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्री गंगानगर।

[Type text]